

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 10289/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Barethi Raj Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (18,000 cum per year) (Khasra No. 445), Village-Barethi Raj, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खनिज निरीक्षक, भिन्ड समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Barethi Raj Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (18,000 cum per year) (Khasra No. 445), Village-Barethi Raj, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) [431101]		
परियोजना का खसरा नं./लीज	445, ग्राम - बरैटीराज, तहसील - मेहगांव,	3.00 हेक्टेयर	शासकीय

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	जिला – भिण्ड (म.प्र.),		
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, जिसका आशिक भाग जलमग्न है। जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.2 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.8 क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 18,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 18,000 घनमी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति	पत्र क्र०. 788 दिनांक 29/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत खेरीयासिंध जिला – भिण्ड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 08/04/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 18 के सरल क्रमांक -03 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल- 1800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत –1800 मी³** प्रति वर्ष।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.01 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बरेठीराज के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास एवं स्थानीय घास	250
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	200
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300
2	ग्राम- बरेठीराज के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3000
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।		
✓	टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान		

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

<p>क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।</p> <ul style="list-style-type: none"> परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 	
योग	3600

2. Case No 10340/2023 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Depalkhedi Sand Quarry in an area of 3.063 ha. (8,370 cum per year) (Khasra No. 359, 360, 363), Village-Depalkhedi, Tehsil-Navisaray, District-Ashok Nagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दीपक सक्सेना, खनिज अधिकारी, अशोक नगर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Depalkhedi Sand Quarry in an area of 3.063 ha. (8,730 cum per year) (Khasra No. 359, 360, 363), Village-Depalkhedi, Tehsil-Nayisaray, District-Ashok Nagar (MP) [431351]
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 359, 360, 363, एरिया – 3.063 हे. शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम-देपालखेड़ी, तह.- नईसराय, जिला- अशोकनगर (म.प्र.).
परियोजना श्रेणी	बी.2 श्रेणी,
LOI details.	पत्र क्र0. 198 दिनांक 07/06/2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान छोछ नदी में मियडंर पर स्थित है, जिसमें खदान क्षेत्र में कही-कही पानी भरा है। जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.22 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.83 क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 8,370 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 8,370 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 591 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.063 हे० होता है, अतः प्रकरण बी.-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 591 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 591 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई संवेदनशील बिन्दु नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत देपालखेड़ी, जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 02/10/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा—
	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा—
	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 25 के सरल क्र० – 02 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल— 9210.71 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8370 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि खदान क्षेत्र में से एक कच्चा रोड जा रहा है, नदी जब सुख जाती है तो लोग आने-जाने के लिये इसका उपयोग करते हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 8370 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.98 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
राशी.ई.आर मद से 25,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम देपालखेड़ी के भासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	25,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास	400
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	300
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	300
2	ग्राम- देपालखेड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी 			

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
• रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	4000

3. Case No 10291/2023 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Madaukhedi Sand Quarry in an area of 3.369 ha. (9,602 cum per year) (Khasra No. 180/167, 622/614), Village-Madaukheri, Tehsil-Mungaoli, District-Ashok Nagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारे सर्वोसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दीपक सक्सेना, खनिज अधिकारी, अशोक नगर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Madaukhedi Sand Quarry in an area of 3.369 ha. (9,602 cum per year) (Khasra No. 180/167, 622/614), Village-Madaukheri, Tehsil-Mungaoli, District-Ashok Nagar (MP) [431354].	
खसरा नं./एरिया	खसरा नं. – 180/167, 622/614, एरिया – 3.369 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम-मदउखेड़ी, तह.- मुंगावली, जिला- अशोकनगर (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी.2 श्रेणी,	
LOI details.	पत्र क्र०. 198 दिनांक 07/06/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान बेतवा नदी में स्थित है, जिसमें खदान क्षेत्र में कहीं-कहीं पानी भरा है। जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.347 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.02 क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 9,602 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 9,602 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 589 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.369	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

अन्य खदानों का विवरण	हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 589 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 589 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई संवेदनशील बिन्दु नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मदउखेड़ी, जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 18/07/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 25 के सरल क्र0 – 04 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल- 9602 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9602 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 9,602 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.98 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि

राशि (रु. में)

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

सी.ई.आर मद से 25,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मदऊखेड़ी के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	25,000
---	--------

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4050 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास	400
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	350
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300
2	ग्राम- मदऊखेड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			4050

4. **Case No 10311/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Badi Khattali Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (11200 cum per year) (Khasra No. 60), Village-Badi Khattali, Tehsil-Jobat , District-Alirajpur (MP)**

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	60 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 ha.
स्थल	Village- Badi Khattali, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान हथनी नदी में मियन्डर पर स्थित है, एवं 122 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 2.2 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.8 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-11,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-11,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 448 दिनांक 05/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 448 दिनांक 05/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 448 दिनांक 05/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट होना प्रदर्शित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 55 के सरल क्र० — 09 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल— 14,515 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 11,200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।
-----------	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुये नवीन अंशाश—देशांश दिये गये है,परन्तु समिति ने पाया कि उनमें भी कुछ सुधार नहीं पाया गया है, खदान के दक्षिण दिशा में 122 मी. पर एक रोडवेज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत—11,200 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.72 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—(भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़ी खट्टाली के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

			(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	4099
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	666
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	278
2	ग्राम बड़ी खट्टाली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	360
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			6000

5. Case No 10316/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Surjana Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (36,000 cum per year) (Khasra No. 55), Village- Gajanpur-4, Tehsil- Khategaon, District- Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	55 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 ha.
स्थल	Village- Gajanpur, Tehsil- Khategaon, District- Dewas, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 619 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोडवेज है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि के अंदर मानव बसाहट, मंदिर, पुनातत्व की इमारत, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पुल स्थित है एवं शेष अन्य नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बजवाडा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 44 के सरल क्र० - 19 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल- 36000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 36000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूवीकृत रेत खदानों के अक्षांश-देक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र. दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-देक्षांश प्रस्तुत किये गये।

समिति ने परिक्षण के दौरान यह पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 619 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोडवेज है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पृष्ठ क्रमांक 22 के पैरा-h अनुसार मेजर रोडवेज तथा हाईवे के विषय में दानो तरफ कितनी दूरी तक सेंड माईन नहीं रखी जा सकती के संबंध में विकल्प दिये गये हैं **“नदी के दोनो तरफ 1 कि.मी. ब्रिज की चौड़ाई के अनुसार तथा न्यूनतम दूरी का मापदंड 250 मी. अप स्टीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम में रखी गई है”।**

समिति द्वारा सुक्षमता से परिक्षण किया गया, अतः उत्खनन की स्वीकृति के लिये यह देखना होगा कि विगत 03 वर्षों में कितना रेत खनन किया है, उसकी मात्रा की पुष्टि जिले खनिज अधिकारी से प्राप्त कि जावें। इस प्रकरण में रोडवेज के अनुसार 01 कि.मी से कम दूरी पर है। अतः खदान प्रचलन की निरंतरता तथा रोड ब्रिज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावें।

6. Case No 10323/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-5 Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 55), Village-Gajanpur-5, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	55 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 ha.,
स्थल	Village- Gajanpur-5, Tehsil- Khategaon, District- Dewas, Madhya	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

	Pradesh.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 750 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोडवेज है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1325 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1325 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1325 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, पुरातत्व की इमारत, राष्ट्रीय रामार्ग एवं पुल स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत वजवाड़ा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 44 के सरल क्र० - 20 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल- 36000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 36000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूवीकृत रेत खदानों के अक्षांश-दक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-दक्षांश प्रस्तुत किये गये ।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

समिति ने परिक्षण के दौरान यह पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 750 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोडवेज है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पृष्ठ क्रमांक 22 के पैरा-h अनुसार मेजर रोडवेज तथा हाईवे के विषय में दानो तरफ कितनी दूरी तक सेंड माईन नहीं रखी जा सकती के संबंध में विकल्प दिये गये है **“नदी के दोनो तरफ 1 कि.मी. ब्रिज की चौड़ाई के अनुसार तथा न्यूनतम दूरी का मापदंड 250 मी. अप स्ट्रीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम में रखी गई है”।**

समिति द्वारा सुक्षमता से परिक्षण किया गया, अतः उत्खनन की स्वीकृति के लिये यह देखना होगा कि विगत 03 वर्षों में कितना रेत खनन किया है, उसकी मात्रा की पुष्टि जिले खनिज अधिकारी से प्राप्त कि जावें। इस प्रकरण में रोडवेज के अनुसार 01 कि.मी से कम दूरी पर है। अतः खदान प्रचलन की निरंतरता तथा रोड ब्रिज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावें।

7. Case No 10293/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Jaleriya Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (7088 cum per year) (Khasra No. 1, 39, 40), Village-Jalerya, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1, 39, 40 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 ha.
स्थल	Village- Jaleriya, Tehsil- Sonkatch, District- Dewas, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है,
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-7,088 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-7,088 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1321 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1321 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1321 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जलेरिया जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 44 के सरल क्र० - 25 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल- 7088.04 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7088.0 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूचीकृत रेत खदानों के अक्षांश-देक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-देक्षांश प्रस्तुत किये गये।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है, जबकि प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न गूगल इमेज एवं खनिज अधिकारी के कथन के अनुसार प्रस्तावित खदान काली सिंध नदी पर प्रस्तावित है।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

अतः इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- प्रस्तावित खदान किस नदी काली सिंध / नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है ?
- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

8. Case No 10295/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Melpipliya Sand Mine in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 105), Village- Melpipalya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्दवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	105 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 ha.
स्थल	Village- Melpipliya, Tehsil- Khategaon, District- Dewas, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है, तथा एक अन्य जल धारा उत्तर पश्चिम दिशा में 145 मी. पर नदी में मिल रही है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मेलपिपल्या जिला देवास के पत्र दिनांक 18/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-43 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-15,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूवीकृत रेत खदानों के अक्षांश-दक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-दक्षांश प्रस्तुत किये गये।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

9. Case No 10294/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pipalneriya Sand Mine in an area of 5.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 221), Village-Pipalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	221 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 ha.
स्थल	Village- Pipalneriya, Tehsil- Khategaon, District- Dewas, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा है तथा एक अन्य जल धारा उत्तर दिशा में 31 मी. पर नदी में मिल रही है। ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खिडक्या जिला देवास के पत्र दिनांक 24/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 43 के सरल क्र० - 13 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल- 50000.04 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूवीकृत रेत खदानों के अक्षांश-देक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-देक्षांश प्रस्तुत किये गये।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

10. Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-4 Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279), Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T. Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 & 279 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.500 ha.
स्थल	Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District- Dewas, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान काली सिंध. नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2350 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-2350 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पीरपाडल्या जिला देवास के पत्र दिनांक 17/06/23. अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 44 के सरल क्र० – 22 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणियल- 2350.02 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2350 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूवीकृत रेत खदानों के अक्षांश-दक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-दक्षांश प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में दिखाई गई प्रश्नाधीन खदान कि के.एम.एल ईमेज गजनपुर-4 की के.एम.एल ईमेज के उपर ओवरलेप हो रही हैं। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- खदान की खनिज अधिकारी से प्रमाणित गूगल ईमेज प्रस्तुत करें।
- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

11. Case No 10320/2023 Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Sajjanpur-2 Sand Deposit in an area of 2.50 ha. (25500 cum per year) (Khasra No. 513), Village- Sajjanpur-2 Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	513 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.50 ha.
स्थल	Village- Sajjanpur-2 Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान ओरसंग नदी में स्थित है, एवं खदान में कही कही जल भराव है, एवं 252 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 1.0 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.5 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-25,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत- रेत-25,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 10/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 60-70 आवास होना प्रदर्शित होता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-55 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल-37,250 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25,500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-25,500 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.74 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, साजनपुर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2054
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	414
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	232
2	ग्राम साजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण 			

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।	
<ul style="list-style-type: none"> परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 	
योग	3000

12. Case No 10321/2023 Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Sajanpur-1 Sand Deposit in an area of 1.50 ha. (13000 cum per year) (Khasra No. 513), Village- Sajanpur-1, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	513 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.50 ha
स्थल	Village- Sajanpur-1, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान ओरसंग नदी में स्थित है, एवं खदान में कहीं कहीं जल भराव है, एवं 252 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 0.6 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 0.9 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-13,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-13,000 घनमीटर/वर्ष हेतु	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 801 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 801 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 801 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 60-70 मानव आवास स्थित होना प्रदर्शित होता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-55 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-55,692 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- रेत-13,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.35 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.75 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, साजनपुर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1154
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	214
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	132
2	ग्राम साजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			1800

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

13. Case No 10288/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Madori River Sand Mine in an area of 3.00 ha. (43380 cum per year) (Khasra No. 770), Village-Marori, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खनिज निरीक्षक, भिन्ड समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Madori River Sand Mine in an area of 3.00 ha. (43,380 cum per year) (Khasra No. 770), Village-Marori, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP) [433194].		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	770, ग्राम – मरौरी, तहसील – लहार, जिला – भिन्ड (म.प्र.),	3.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.2 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.8 क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 43,380 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत –43,380 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति /LOI details.	पत्र क्र0. 788 दिनांक 29/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिन्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मडौरी जिला – भिण्ड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 14/03/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 122 के सरल क्रमांक – 26 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल- 43400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 43380 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत – 43380 मी³ प्रति वर्ष**।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि **रु. 04.48 लाख** एवं रिक्रिंग राशि **रु. 01.13 लाख** प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि **रु. 01.50 लाख** तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि

राशि (रु. में)

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मड़ोरी के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000
एवं 50,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी	50,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	250
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	200
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	150
2	ग्राम- मड़ोरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।</p> <p>• परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p> <p>• रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।</p>			
योग			3600

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

14. Case No 10337/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ojhaghat River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (24,000 cum per year) (Khasra No. 1254), Village-Ojhaghat, Tehsil-Bhind, District-Bhind (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खनिज निरीक्षक, भिन्ड समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ojhaghat River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (24,000 cum per year) (Khasra No. 1254), Village-Ojhaghat, Tehsil-Bhind, District-Bhind (MP) [433246]
परियोजना का खसरा नं. / लीज	1254, ग्राम – 4.00 हेक्टेयर औजाघाट, तहसील – शासकीय – भिण्ड, जिला – भिण्ड (म.प्र.),
परियोजना की	बी-2 श्रेणी,
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.6 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.4 क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 24,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 24,000 घनमी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
LOI details.	पत्र क्र०. दिनांक 31/05/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.220 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्र०. 1071 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क /अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है। खदान से कच्चा रास्ता- 50 मी. की दूरी पर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत औझा जिला - भिण्ड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 125 के सरल क्रमांक - 75 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल- 24000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 24000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत - 24000 मी³ प्रति वर्ष**।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि **रु. 05.34** लाख एवं रिकरिंग राशि **रु. 01.07** लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि **रु. 01.50** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
--	-----------------------

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

सी.ई.आर मद से 1,50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम ओझाघाट के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,50,000
---	----------

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	500
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	400
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300
2	ग्राम- ओझाघाट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3600
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 			
योग			4800

15. Case No 10287/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Laraul River Sand Mine in an area of 3.220 ha. (8,694 cum per year) (Khasra No. 472), Village-Larol, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP)

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खनिज निरीक्षक, भिण्ड समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Laraul River Sand Mine in an area of 3.220 ha. (8,694 cum per year) (Khasra No. 472), Village-Larol, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP) [433264].		
परियोजना का खसरा नं./लीज	472, ग्राम – लारौल, तहसील – रौन, जिला – भिण्ड (म.प्र.),	3.220 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.28 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 0.8694 क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 8,694 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 8,694 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
LOI details.	पत्र क्र०. दिनांक 31/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.220 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 11/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं		

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत लारौल जिला – भिण्ड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 125 के सरल क्रमांक – 69 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल- 8694 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8694 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत – 8694** मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.36 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.98 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 30,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लारौल के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	30000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	नियत स्थान		(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	400
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	300
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोडा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम- लारौल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बांस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			3900

16. Case No 10338/2023 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Shajapur Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (11,400 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Shajapur, Tehsil-Nayisaray, District-Ashok Nagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दीपक सक्सेना, खनिज अधिकारी, अशोक नगर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Shajapur Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (11,400 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Shajapur, Tehsil-Nayisaray, District-Ashok Nagar (MP) [433281]
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 1/1, एरिया – 4.00 हे. शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम-शाजापुर, तह.- नईसराय, जिला- अशोकनगर (म.प्र.).
परियोजना श्रेणी	बी.2 श्रेणी,
LOI details.	पत्र क्र0. 198 दिनांक 07/06/2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.60 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.40 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 590 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 590 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 590 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई संवेदनशील बिन्दु नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत पौरुखेड़ी, जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 34 दिनांक 02/10/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-25 के सरल क्र0 – 03 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल- 12096.42 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 11400 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 11400 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.36 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.98 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 30,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लारौल के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी ।	30000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	500
		4-5 पंक्ति – कटंग बांस	350
		6 पंक्ति – गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	350
2	ग्राम- शाजापुर के	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू	3600

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।		
✓	टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।		
•	परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।		
•	रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।		
योग			4800

17. Case No 10324/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-1 Sand Deposit in an area of 0.82 ha. (8200 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	76 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	0.820 ha.
स्थल	Village- Bhanjakhedi, Tehsil- Khategaon, District- Dewas, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र जलमग्न है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-8200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-8200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1303 दिनांक 22/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1303 दिनांक 22/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1303 दिनांक 22/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मिर्जापुर जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-43 के सरल क्रमांक-9 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-8200.02 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूवीकृत रेत खदानों के अक्षांश-दक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-दक्षांश प्रस्तुत किये गये।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल इमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

18. Case No 10322/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-2 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-2, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GIRISH KHANDWEKAR, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	76 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 ha.
स्थल	Village- Bhanjakhedi-2, Tehsil- Khategaon, District- Dewas, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1/बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र लगभग जलमग्न है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305 दिनांक 22/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305 दिनांक 22/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305 दिनांक 22/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मिर्जापुर जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-43 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-25,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि देवास जिले में रूवीकृत रेत खदानों के अक्षांश-देक्षांश की रिडिंग में संशोधन किया गया है, इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला देवास द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/09/23 भी प्रस्तुत किया गया, पत्र के साथ 28 खदानों की संशोधित अक्षांश-देक्षांश प्रस्तुत किये गये।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

19. Case No 10285/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gulidand Sand Mine in an area of 5.00 ha. (68400 cum per year) (Khasra No. 688), Village-Gulidand, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP)

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, (ऑनलाईन) मे0. ओसियो इंवारी मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान सुश्री ईशा वर्मा, खनिज अधिकारी, अनूपपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gulidand Sand Mine in an area of 5.00 ha. (68,400 cum per year) (Khasra No. 688), Village-Gulidand, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP) [434695].
परियोजना का खसरा नं. /लीज	688, ग्राम – गुलीडांड, तहसील – कोतमा, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.), 5.00 हेक्टेयर शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी,
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान केवई नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 115 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज होने के कारण 2.272 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.28 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 68,400 घन मी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत– 68,400 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
LOI details.	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 519 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 519 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 519 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत- गुलीडांड, जिला - अनूपपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 16/08/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 42 के सरल क्रमांक - 14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल- 68400 मी ³ उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 68400 मी ³ /वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत - 68400** मी³ वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 05.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.32 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.76 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय गुलिदांड के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	1,76,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---	---------------------	---------------------

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	3012
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	490
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा	204
2	ग्राम गुलिडांड के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2244
	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गॉर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 			
योग			6000

20. Case No 10286/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Changeri-1 Sand Mine in an area of 5.00 ha. (90000 cum per year) (Khasra No. 1437), Village-Changeri, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, (ऑनलाईन) मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि.

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान सुश्री ईशा वर्मा, खनिज अधिकारी, अनूपपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Changeri-1 Sand Mine in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 1437), Village - Changeri, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP) [434812].		
परियोजना का खसरा नं. / लीज	1437, ग्राम - चंगेरी, तहसील - कोतमा, जिला - अनूपपुर, (म. प्र),	5.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान केवई नदी में स्थित है एवं खदान क्षेत्र आंशिक जलमग्न है, कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 2.0 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 3.0 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति	पत्र क्र०. 885 दिनांक 23/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 621 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. - 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 621 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 621 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत- चंगेरी जिला - अनूपपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 02/10/2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन		

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 42 के सरल क्रमांक - 16 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल- 90000 मी ³ उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 90000मी ³ /वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** - 90,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.13 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक शाला कटकोना के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	1,00,000
चिकित्सकीय सुविधाओं हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोतमा में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी।	1,30,000
कुल	2,30,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	3765
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	490
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा	255
2	ग्राम चंगेरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1318
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गॉर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			6000

21. Case No 10290/2023 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kherona Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (8550 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kherona, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP)

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारे सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दीपक सक्सेना, खनिज अधिकारी, अशोक नगर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kherona Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (8,550 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kherona, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) [436824].
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 01, एरिया – 3.00 हे. शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – खैरोना, तह.– शाढौरा, जिला– अशोकनगर (म.प्र.).
परियोजना श्रेणी	बी.2 श्रेणी,
LOI details.	पत्र क्र0. 198 दिनांक 07/06/2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.20 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.80 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 8,550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 8,550 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 592 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 592 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 592 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई संवेदनशील बिन्दु नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बरखेड़ा नई, जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 26 दिनांक 03/10/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 25 के सरल क्र० — 01 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 9025.71 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8550 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।
----------------------------------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — **8550** मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 04.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.98 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—(भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 20,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम खैरोना के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	20,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---	---------------------	---------------------

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	400
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	300
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	ग्राम- खैरोना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2800
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			3600

22. Case No 10339/2023 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gora Bhadurpur Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (9000 cum per year) (Khasra No. 178), Village-Gora Bhadurpur, Tehsil-Mungaoli, District-Ashok Nagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दीपक सकसेना, खनिज अधिकारी, अशोक नगर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
-----------------------	--

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gora Bhadurpur Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (9,000 cum per year) (Khasra No. 178), Village-Gora Bhadurpur, Tehsil-Mungaoli, District-Ashok Nagar (MP) [436836]	
खसरा नं./एरिया	खसरा नं. – 178, एरिया – 3.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम-गोरा बहादुरपुर, तह.- मुंगावली, जिला- अशोकनगर (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी.2 श्रेणी,	
LOI details.	पत्र क्र०. 198 दिनांक 07/06/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान केथन नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र जलमग्न है, पानी में डूबा होने के कारण 1.20 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.80 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 9,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 9,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 594 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 594 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 594 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई संवेदनशील बिन्दु नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत गोरा, जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 02/10/2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 25 के सरल क्र० – 06 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल- 9000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 9000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.98 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे ।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 20,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गोरा बहादुरपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी ।	20000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	400
		4-5 पंक्ति – कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	ग्राम- गोरा बहादुरपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2800

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 	3600
योग	

23. Case No 10315/2023 Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Agalgota-4 Sand Deposit in an area of 2.18 ha. (2560 cum per year) (Khasra No. 775, 884), Village-Agalgota-4, Tehsil-Alirajpur , District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	775 & 884 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.180 ha.
स्थल	Village- Agalgota 4, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नाला में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 0.9 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.28 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2560 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-2560 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 451 दिनांक 05/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 451 दिनांक 05/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 451 दिनांक 05/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित होना प्रदर्शित होता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-56 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-7440 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2560 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

समिति द्वारा परिक्षण के दौरान पाया कि नदी के आस-पास कई मकान निर्मित देखे गए एवं लोगो के खेत भी खदान क्षेत्र से लगे हुये है, अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जहां जहां मकान है वहां 50 मी. तक गैर खनन् क्षेत्र के रूप में माना जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-2560 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 02.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.74 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-(भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, आगलगोटा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2616 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1654
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	314
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	132
2	ग्राम आगलगोटा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	516
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान 			

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

<p>क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।</p> <ul style="list-style-type: none"> परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 	
योग	2616

24. Case No 10312/2023 Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Nichawas Sand Deposit in an area of 1.34 ha. (3135 cum per year) (Khasra No. 34), Village-Nichawas, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	34 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.34 ha.
स्थल	Village- Nichawas, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सुखद नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी कुछ भाग पानी डूबा/ब्लॉक होने के कारण 0.536 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 0.804 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3135 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-3135 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 906 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2. श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 906 दिनांक 10/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 906 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 20-30 मानव आवास स्थित होना प्रदर्शित होता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-56 के सरल क्रमांक-47 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-3672 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3150 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-3135 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.35 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.69 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, निचावास के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1608 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	944
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	356
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	207
2	ग्राम निचावास के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	101
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			1608

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

25. Case No 10314/2023 Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kodli Sand Deposit in an area of 3.00 ha. (8100 cum per year) (Khasra No. 463), Village-Kodli, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	463 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 ha.
स्थल	Village Kodli, Tehsil- Alirajpur, District-Alirajpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सुखद में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 375 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 1.2 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.8 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-8100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-8100 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 904 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 904 दिनांक 10/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 904 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 50-60 मानव आवास स्थित होना प्रदर्शित होता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-55 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-39,192 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8100 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-8100 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.82 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, कोडली के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1799
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	506
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	211
2	ग्राम कोडली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1084
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। 			
योग			3600

26. Case No 10319/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Guda-1 Sand Deposit in an area of 1.50 ha. (2400 cum per year) (Khasra No. 420), Village-Guda, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	420 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.50 ha.
स्थल	Village- Guda, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नाला में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के कारण 0.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 0.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-2400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 901 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 03.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 901 दिनांक 10/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 901 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट होना प्रदर्शित होता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-55 के सरल क्रमांक-24 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-27,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2400 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2400 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.32 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.72 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, गुडा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1154
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	214
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	132
2	ग्राम गुडा के ग्रामवासियों	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता,	300

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

में वितरण हेतु	आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाडी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 		
योग		1800

27. Case No 10318/2023 Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Guda-2 Sand Deposit in an area of 3.00 ha. (4800 cum per year) (Khasra No. 420), Village-Guda-2, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	420 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.0 ha.
स्थल	Village- Guda-2 Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नाला में स्थित है, जिसका कहीं-कहीं कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-4800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-4800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 902 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 04.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 902 दिनांक 10/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 902 दिनांक 10/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट होना प्रदर्शित होता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/07/23 अनुसार ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-55 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल-22,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-4800 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.36 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.72 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-(भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, गुडा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	10,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1799
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	506
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	211
2	ग्राम गुडा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1084
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

योग	3600
-----	------

28. Case No 10519/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Baarbandh-3 Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (29250 cum per year) (Khasra No. 472/2), Village Baarbandh-3, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur (MP))

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/9/23 को परियोजना प्रस्तावक बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	472/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare
स्थल	Village Baarbandh-3, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान केन नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, पानी डूबा होने के कारण 2.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-29,250 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-29,250 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1835 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस संदर्भ में प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के पत्र दिनांक 05/07/2023 के द्वारा बताया कि उक्त खदान के अतिरिक्त 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है। अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1835 दिनांक 31/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1835 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हाजीपुर जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 04/10/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खदान पंचायत को स्वीकृत किया जाये।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-74 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल- 72,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 29,250 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

क्वेरी -

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-29,250 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 06.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.85 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक शाला बछेड़ा खेड़ा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	80,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम बारबंद के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4750
2	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गॉर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । 			

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

• रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	4800

29. Case No 10534/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Kutiya Sand Quarry in an area of 2.10 ha. (2800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kutiya, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/9/23 को परियोजना प्रस्तावक बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.10 hectare.
स्थल	Village Kutiya, Tehsil Rajnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बन्ने. नदी में स्थित है, एक स्टाप डेम 316 मी. पर स्थित है। स्टाप डेम के कारण 1.54 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 0.56 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-2800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1842 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 4.20 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

की अनापत्ति	क्रमांक 1842 दिनांक 31/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1842 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुटिया जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-77 के सरल क्रमांक-35 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल-37,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2800 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.11 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
-----------------------------------	----------------

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय पाठशाला दिदोनिया के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	15,000
--	--------

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2520 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम कुटिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2470
2	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गॉर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			2520

- 30. Case No 10520/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Mahwaya Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 1163), Village-Mahyaba, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)**

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/9/23 को परियोजना प्रस्तावक बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1163, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Mahwaya, tehsil Gaurihar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान केन नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र जलमग्न है एवं पानी डूबा होने के कारण 3.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 1.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 16/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस संदर्भ में प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के पत्र दिनांक 05/07/2023 के द्वारा बताया कि उक्त खदान के अतिरिक्त 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है। अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 16/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 16/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महयाबा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-74 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-72,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-15,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.17 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.73 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.44 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे ।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय शासकीय माध्यमिक शाला नीबीखेड़ा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	44,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम महवाया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4750
2	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गॉर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			4800

31. Case No 10533/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Singrampura Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (13000 cum per year) (Khasra No. 53, 369), Village-Sigrampura, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/9/23 को परियोजना प्रस्तावक बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए एवं साथ में श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, छतरपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	53,369 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Singrampura, Tehsil Bijawar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बन्ने नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा है एवं खदान के अंदर 02 स्टाप डेम है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार सेडबेक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-13,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-13,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2177 दिनांक 16/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 03.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2177 दिनांक 16/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2177 दिनांक 16/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमरपुरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 16/08/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-78 के सरल क्रमांक-44	

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल-36,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान बन्ने नदी में स्थित है, जिसका आशिक. भाग पानी डूबा है एवं खदान के अंदर 02 स्टाप डेम है। सेंड माईनिंग गार्डिलाइन्स वर्ष 2016 एवं **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 500 मीटर का नॉन माईनिंग छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता हैं अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

32. Case No 10517/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) , Prior Environment Clearance for Phattepur Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 2/2), Village-Phattepur, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/9/23 को परियोजना प्रस्तावक बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए एवं साथ में श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, छतरपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare
स्थल	Village Phatterpur, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान केन नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है,	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.8 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.2 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1837 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है, इस संदर्भ में प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के पत्र दिनांक 05/07/2023 के द्वारा बताया कि उक्त खदान के अतिरिक्त 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है। अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1837 दिनांक 31/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1837 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मिश्रनपुरवा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 02/12/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का कार्य ग्राम पंचायत को सौपा जाये।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-75 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल-36,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारसा 36,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-36,000 मी³ प्रति वर्ष।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.60 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.95 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरहट के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	95,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम फतेतपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2350
2	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गॉर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से 			

**677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023**

लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
• रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	2400

33. Case No 10518/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) , Prior Prior Environment Clearance for Sadkar Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (16200 cum per year) (Khasra No. 1400), Village-Sadkar, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/9/23 को परियोजना प्रस्तावक बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए एवं साथ में श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, छतरपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1400 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Sadkar, Tehsil Chandla, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान केन नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-16,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-16,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, जिसे मिलाकर कुल रकबा 08.00 हे. होता है, इस संदर्भ में प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के पत्र दिनांक 05/07/2023 के द्वारा बताया कि उक्त खदान के अतिरिक्त 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है। अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 31/07/23 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 31/07/23 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सड़कर जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-76 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल-72,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16,200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-16,200 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.82 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-(भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक शाला उदैपुर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम सड़कर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4750
2	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			4800

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

34. Case No 10542/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) , Prior Prior Environment Clearance for Sadkar Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 818), Village Surajpur, Tehsil Chandla, District Chhatarpur (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/9/23 को परियोजना प्रस्तावक बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए एवं साथ में श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, छतरपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	818 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Surajpur, Tehsil Chandla, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान उर्मिल नदी में स्थित है, एवं खदान क्षेत्र जलमग्न है, एवं 443 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 150 मी. पर पक्का रोड़ ब्रिज है। पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 3.25 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.75 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1838 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस संदर्भ में प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के पत्र दिनांक 05/07/2023 के द्वारा बताया कि उक्त खदान के अतिरिक्त 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान	

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

	नहीं है। अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1838 दिनांक 31/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1838 दिनांक 31/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सूरजपुर जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 02/10/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन पंचायत को मंजूर किये जाने का प्रस्ताव पारित।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-76 के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-72,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-15,000घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-15,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.77 लाख प्रति वर्ष।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.45 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए सूरजपुर विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	45,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम सूरजपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4750
2	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गॉर्ड के साथ (50
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा । 			
योग			4800

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

1. अलीराजपुर संशोधित अक्षांश-देक्षांश

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2023

आज दिनांक 12/09/2023 को रेत खनन प्रकरण में कतिपय कारणों से पूर्व में स्वीकृत डी.एस.आर के अक्षांश-देक्षांश में परिवर्तन हुआ है। संशोधित अक्षांश-देक्षांश की सूची अनुसार प्रकरणों को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा पुष्टी की गई। प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर को निर्देश दिये गये कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की हार्ड कॉपी परिवर्तित अक्षांश-देक्षांश को शामिल करते हुये सेक में प्रस्तुत करें।

2. देवास संशोधित अक्षांश-देक्षांश

खनिज निरीक्षक श्री राजकुमार मराठे द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर देवास द्वारा डी.एस.आर के अक्षांश-देक्षांश में परिवर्तन की सूची सिया को पत्र क्रमांक 1252 दिनांक 15/06/2023 भेजी गई थी जो कि संबंधित सूची सेक में अप्राप्त है। प्रस्तुत अक्षांश-देक्षांश के आधार पर देवास के रेत खदानों के प्रकरणों को आज परिक्षण किया गया। खनिज निरीक्षक को निर्देश दिये गये कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की हार्ड कॉपी परिवर्तित अक्षांश-देक्षांश को शामिल करते हुये सेक में प्रस्तुत करें।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - जबलपुर अन्य गौण खनिज (रेत खनिज को छोडकर)

जिला खनिज अधिकारी, ने अपने पत्र कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला जबलपुर (म.प्र) के पत्र क्रमांक 800 दिनांक 08/09/2023 के द्वारा समिति को निवदेन किया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 657वीं बैठक दिनांक 11/07/2023 को प्रस्तुत अन्य गौण खनिज (रेत खनिज को छोडकर) की सिया को अनुशंसा करते हुये उक्त बैठक के कायवाही विवरण में टंकण त्रुटिवश, अन्य गौण खनिज (रेत खनिज को छोडकर) के स्थान पर रेत खनिज जिला सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है। अतः उपरोक्त सुधार किया जाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज (रेत खनिज को छोडकर) की अनुशंसा करने का कष्ट करें।

677वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 12 सितम्बर 2023

समिति ने उपरोक्त जिला खनिज अधिकारी के आवेदन को मान्य करते हुये जबलपुर अन्य गौण खनिज (रेत खनिज को छोडकर) की अनुशंसा करती है। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में जबलपुर रेत खनिज (संशोधित) के स्थान पर जबलपुर अन्य गौण खनिज (रेत खनिज को छोडकर) पढा जावें।

- पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तों के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खनिज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तों का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तों का परिपालन में देखना होगा।
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) from the river.....bank shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.


(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव


(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष